INDIAN STREAMS RESEARCH JOURNAL
ISSN NO : 2230-7850
IMPACT FACTOR : 5.1651 (UIF)
VOLUME - 16 | ISSUE - 4 | MAY – 2026

''रीवा जिले में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की वित्तीय स्थिति : एक अनुशीलन''

पुष्पेन्द्र कुमार पटेल
शोधार्थी वाणिज्य, मध्यांचल प्रोफेशनल युनिवर्सिटी, भोपाल (म.प्र.)

डॉ. महादेव पंडाग्रे
प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, मध्यांचल प्रोफेशनल युनिवर्सिटी, भोपाल (म.प्र.)

सारांश –

रीवा जिला विभिन्न संस्कृतियों का परिचायक है, देश में अंग्रेजी शासन के दौरान 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औद्योगिक विकास प्रारम्भ हो चुका था, औद्योगिक संरचना जो कि भारतीयों को अंग्रेजों से विरासत में प्राप्त हुआ है। औद्योगीकरण की प्रक्रिया देश में 1990 के दशक में उदारीकरण की शुरूआत के साथ हुई, किन्तु विभिन्न कारणों जैसे शैक्षिक, राजनैतिक और मूलभूत सुविधाओं की उदासीनता की वजह से कोषों पीछे रह गया है। पिछले दशक में औद्योगीकरण की प्रक्रिया गतिमान अवश्य हुई है, परन्तु प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता और भौगोलिक संरचना के अनुरूप वर्तमान समय तक औद्योगिक प्रगति एवं उन्नति प्राप्ति नहीं हो सकी। विगत कुछ समय में रीवा जिला अपने स्रोतों का दोहन करने में अग्रसर हुआ है, किन्तु जिले में विद्यमान पिछड़ापन जिसे हम असाक्षरता, बेरोजगारी और आत्मनिर्भरता में कमी के रूप में देख रहे हैं, में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। रीवा जिला में प्राकृतिक समाज संसाधनों की प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने के बावजूद भी वर्तमान समय में विकास की दौड़ में पर्याप्त पीछे है। सरकार/राज्य शासन द्वारा वकास को आधार बनाकर पंचवर्षीय राष्ट्रीय योजना प्रश्नावली को अंगीार किया। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास के दीर्घकालिक लक्ष्यों को ध्यान में रखकर निरन्तर प्रयासरत है। प्रारम्भिक चरणों में प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि विकास पर विशेष ध्यान आकर्षित किया। तत्पश्चात् उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, अधोसंरचना विकास की प्रक्रिया के रूप में शामिल किये गये।

मुख्य शब्द – सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग, शिक्षा, वित्तीय स्थिति, व्यावसायिक गतिविधियाँ।

प्रस्तावना –

हिन्दी शोधकर्ता के शोध का विषय ''सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम (MSME) उद्यमों का रीवा जिले के औद्योगिक विकास में योगदान का अध्ययन'' से संबंधित है। अतः शोधकर्ता रीवा जिले में एम.एस.एम.ई. उद्योगों की आधारभूत सुविधाओं की स्थिति का अध्ययन किया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) आर्थिक विकास के इंजन के रूप में तथा सम्पूर्ण विकास को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। एम.एस.एम.ई. को मजबूत करने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) विभाग का गठन 5 अप्रैल 2016 को किया गया

है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के गठन का लक्ष्य एमएसएमई के लिए ऐसी नीतियाँ बनाना है, जो कि उन्हें विकसित करने के साथ–साथ सक्षम भी बनाएं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग की सहायता से एमएसएमई रीवा जिले में सामाजिक–आर्थिक विकास तथा रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देकर विभाग ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ–साथ सामान्य ग्रामीण लोगां एवं विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करता है। विभाग एमएसएमई को ऋण प्रौद्योगिकी एवं स्थानीय एवं वैश्विक बाजार तक की पहुँ प्रदान करता है। एमएसएमई को न्यूनतम विकास करता है। स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से विभाग युवाओं को प्रोत्साहित करता है, ताकि वह अपने गृह शहर/ग्रामीण अंचल में अपना उद्यम स्थापित कर सके।

रीवा जिला में प्रभावी एवं गतिशील औद्योगीकरण की दिशा में उद्योग संचालनालय द्वारा उद्योगों की स्थापना एवं उसके संचालन को सरल और आसान बनाने का कार्य किया जा रहा है, साथ ही विनिर्माण एमएसएमई की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए जिला कार्यालयों के माध्यम से एमएसएमई विकास नीति 2019 के अंतर्गत अनुदान प्रदान करने का कार्य भी संचालनालय द्वारा किया जा रहा है, इसी प्रकार संचालनालय द्वारा प्रदेश के बेरोजगारों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

उद्देश्य –

किसी भी शोध–पत्र को प्रस्तुत करने के लिए उससे संबंधित कुछ प्रमुख उद्देश्यों का निर्धारण करना अत्यन्त आवश्यक होता है। इसे दृष्टिगत रखते हुए शोध आलेख से संबंधित कुछ प्रमुख उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है जो क्रमशः इस प्रकार है–

1. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग का प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा कौन–कौन से वित्तीय संस्थान स्थापित किये गये और ये वित्तीय संस्थायें किस प्रकार से सहायता प्रदान करती है।
2. जिले में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में वित्तीय निवेश की स्थिति का आकलन करना।
3. रीवा जिले के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में वर्तमान वित्तीय निवेश की स्थिति का मूल्यांकन करना।

शोध परिकल्पना –

प्रत्येक शोध आलेख को प्रस्तुत करने से पूर्व शोधकर्ता के मस्तिष्क में शोध शीर्षक से संबंधित जो भी धारणा या विचार पनपते हैं उन्हें परिकल्पना की संज्ञा दी जाती है। इसी दृष्टिकोण के आधार पर चयनित शोध आलेख से संबंधित कुछ प्रारम्भिक विचार शोधकर्ता के मस्तिष्क में बने हैं, जिन्हें परिकल्पनाओं के रूप में निम्नानुसार व्यक्त किया गया है जो क्रमशः इस प्रकार हैं–

1. रीवा जिले के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में पूंजी निवेश की भूमिका का मूल्यांकन है।
2. सरकार द्वारा स्थापित वित्तीय संस्थान जिले के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम (MSME) उद्योगों का संरक्षण करते हैं।
3. रीवा जिले में विभिन्न सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना से रीवा जिले के आधारभूत संरचना का विकास होता है।

शोध प्रविधि –

शोधकर्ता जब वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा अध्ययन करके अर्थात् निरीक्षण, अवलोकन, परीक्षण एवं अन्य दूसरे शोध विधियों का प्रयोग करके शोध आलेख को प्रस्तुत करता है और इसके लिए जो तरीका अपनाता है वह शोध प्रविधि कही जाती है। प्रस्तुत शोध–पत्र को विश्लेषित करने के लिए शोधकर्ता ने द्वितीयक समंकों के माध्यम से समंकों का संग्रहण करके शोध आलेख को पूर्ण किया गया है। इस शोध आलेख को प्रस्तुत करने के लिए वर्णनात्मक, विवरणात्मक एवं विश्लेषणात्मक आदि प्रविधियों का प्रयोग किया गया है।

विश्लेषण –

जिले में औद्योगिक विकास को गति प्रदन करने की दृष्टि से वित्त निगम की स्थापना करने का प्रमुख ध्येय राज्य की औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय ऋण की सुविधा उपलब्ध कराकर औद्योगीकरण को बढ़ावा देना रहा है लेकिन आज वित्त निगम की उपलब्धियों में निरंतर परिवर्तन होने के कारण आज यह निगम अपनी उपलब्धियों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य की औद्योगिक इकाइयों की स्थापना एवं विस्तार करने की दृष्टि से अनेक नवीन उपलब्धियों के अन्तर्गत अपने ऋण प्रदान करने के क्षेत्र में निरंतर विकास करता चला आ रहा है। जिले में वित्त निगम अपनी उपलब्धियों को दृष्टिगत रखते हुए आज वस्तुओं के निर्माण, परिरक्षण एवं संरक्षण करना, होटल उद्योग, खनन कार्य, सड़क, जल अथवा वायु साधनों के माध्यम से यात्रियों अथवा माल के यातायात, विविध तरह की मशीनरी, वाहन, ट्रेक्टर अथवा ट्रेलर्स के रखरखाव, मरम्मत परीक्षण या सुधार कार्य, विद्युत और अन्य तरह की शक्ति का उत्पादन अथवा वितरण करना, मशीनरी अथवा शक्ति की सहायता से कि वस्तु के संयोजन, मरम्मत अथवा पैकिंग कार्य, मत्स्य उद्योग अथवा मत्स्योद्योग हेतु किनारों पर लगने वाले साधनों अथवा उनके रखरखाव, भूमि के किसी भाग को औद्योगिक संस्थान के स्वरूप में विकसित करना, तोलकाटा सुविधा मुहैया करवाना, पर्यटन सम्बन्धी सुविधाओं की स्थापना और विकास के लिए मनोरंजन पार्क, सम्मेलन केन्द्र, रेस्टोरेंट, यात्रा एवं परिवहन समेत टुरिस्ट सेवा एजेन्सी, गाईड सेवा व पर्यटकों को सलाह सेवा प्रदान करना, उद्योगों को यांत्रिकी तकनीकी, वित्तीय प्रबन्धन, विपणन अथवा अन्य सेवाएं/सुविधाएं प्रदान करना, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं अन्य सम्बन्धित उपलब्ध कराने, निर्माण कार्यों, सड़कों के निर्माण, विकास और रखरखाव कार्य, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा अनुमोदित अन्य गतिविधियां, सेवा उद्योग जैसे परिवर्तन, विभूषण, पालीशिंग, फिनिशिंग, माइलिंग, वासिंग इत्यादि के प्रयोग, विक्रय परिवर्तन, व्यावसायिक केन्द्रों (सामुदायिक केन्द्र) और अन्य उपलब्धियां हासिल किया है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग जिले के आर्थिक विकास के इंजन के रूप मे और भी सम्पूर्ण विकास को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए जाना जाता है। एमएसएमई को मजबूत करने हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग का गठन 5 अप्रैल 2016 में की गयी थी। एमएसएमई विभाग के गठन का लक्ष्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम हेतु ऐसी नीतियों का क्रियान्वयन करना है जो की इन उद्योगों को विकसित करने के साथ–साथ सक्षम भी बनाये। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग की सहायता से एमएसएमई रीवा जिले में सामाजिक–आर्थिक प्रगति एवं रोजगार के अवसर को प्रोत्साहन प्रदान कने का कार्य कर रहे हैं। ग्रामीण उद्यमिता को प्रोत्साहन प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। ग्रामीण उद्यमिता को प्रोत्साहन प्रदान कर विभाग ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ–साथ सामान्य ग्रामीण अंचलों के व्यक्तियों एवं विशिष्ट रूप से ग्रामीण अंचलों की महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त कने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है।

सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को राहत मुहैया कवाने हेतु एक ऋण गारंटी निधि को स्थापित किया गया है, जो अपने उद्यमों के उन्नति व विकास करने में असफल रहते हैं। मुहैया करवायी गयी गारंटी कवर 50 लाख रूपये से अधिक एवं 100 लाख रूपये तक के ऋण प्रदर्शन के 50 प्रतिशत पर एक रूप गारन्टी के साथ 50 लाख रूपये तक (लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यमों को मुहैया करवाने गये। 5 लाख रूपये तक के ऋण हेतु 85 प्रतिशत महिलाओं के स्वामित्व/प्रचालित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों हेतु तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के सम्पूर्ण ऋणों हेतु 80 प्रतिशत) के ऋण प्रवाह हेतु 75 प्रतिशत है। स्वीकृत प्रदान की गयी सुविधा की 1.0 प्रतिशत प्रतिवर्ष के एक सामाजिक समस्त वार्षिक गारंटी शुल्क 5 लाख रूपये तक ऋण सुविधा के लिए 0.75 प्रतिशत एवं 5 लाख रूपये से अत्यधिक और 100 लाख रूपये तक महिला, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों और उनके विकास हेतु प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है।

क्षेत्रीय विकास हेतु इस क्षेत्र क क्षमता को पहचानते हुए उद्योगों के इस हिस्से को आत्मनिर्भर एवं ग्रामीण औद्योगीकरण के उद्देश्य को पूरा करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिले में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में पारम्परिक एवं वर्तमान समय के छोटे उद्योग शामिल किये गये हैं, जिले में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के अन्तर्गत हथकरघा, हस्तशिल्प, नारियल जटा, रेशम उत्पाद, लघु उद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। जिले में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र के समाजार्थिक विकास में अपने योगदान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। जिले में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में वित्तीय निवेश की स्थिति को तालिका क्रमांक–1 के माध्यम से स्पष्ट किया गया है–

तालिका क्रमांक–1

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में वित्तीय निवेश (रूपये करोड़ में)

क्र.	उद्यमों के प्रकार	संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश की राशि	कुल बिक्री की राशि
1.	सूक्ष्म	1.00	5.00 से अधिक नहीं
2.	लघु	10.00	50.00 से अधिक नहीं
3.	मध्यम	50.00	250.00 से अधिक नहीं

स्रोत– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विवरिणिका, भारत सरकार, 2022

उक्त तालिका से प्रतीत होता है कि यह सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के निवेश से संबंधित है। जिले में सूक्ष्म के अन्तर्गत संयंत्र व मशीनरी में 1.00 करोड़ रूपये निवेश किये गये जबकि 5.00 करोड़ रूपये बिक्री राशि है। लघु उद्योगों में संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश की राशि 10.00 करोड़ रूपये है और कुल बिक्री 50.00 करोड़ रूपये तथा कुल धनराशि 250.00 करोड़ है।

निष्कर्ष –

आर्थिक क्षेत्र में परम्परागत रूप में उद्यमिता का तात्पर्य व्यवसाय और उद्योग में समाहित भिन्न–भिन्न अनिश्चितताआं और जोखिमों का सामना करने की योग्यता और प्रवृत्ति है, जो व्यक्ति जोखिम वहन करता है उसे साहसी एवं उद्यमी कहा जाता है। वर्तमान आशय में उद्यमिता का मतलब गतिशील आर्थिक वातावरण में सृजनात्मक और नवप्रवहनकारी योजनाओं और विचारों को क्रियान्वित करने की योग्यता है। उद्यमी नवीन उपक्रम की स्थापना, नियंत्रण और निर्देशन के साथ बदलाव और नवप्रवर्तन भी करता है। जिले की तीव्र गति के आर्थिक विकास और औद्योगीकरण हेतु उद्यमिता के कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उद्यमिता के माध्यम से नवप्रवर्तन और सृजनात्मक से संबंधित कामों को बढ़ावा मिलता है, जिससे समाज को नवीन–नवीन वस्तुएं प्राप्त होती है। उद्यमिता रीवा जिले के व्यक्तियों में नवीन–नवीन प्रयोग और शोध/अनुसंधान करने और उपयोगिताओं का निर्माण करने की योग्यताओं का विकास करके रोजगार के मौके में बढ़ोत्तरी करने का कार्य निर्वहन करता है। जिससे रीवा जिले के व्यक्तियों की नवीन आकांक्षाएं उत्पन्न होती है। इस तरह उद्यमिता का काम सिर्फ जोखिम उठाने की क्षमता में वृद्धि करना ही नहीं है अपितु जिले के व्यक्तियों में नवीन–नवीन इच्छाओं, मांगों और प्रयोग की रूचि पैदा कर उद्यमियों/साहसियों को उद्योग स्थापित की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है।

रीवा जिले के साहसियों/उद्यमिता में संगठन और समन्वय संबंधी गुणों के विकास करने का कार्य करता है, जिससे उद्यमी/व्यवसायी उत्पादन के समस्त स्रोतों तथा भूमि, पूंजी, श्रम, साहस संगठठन में समन्वय स्थापित करके रीवा जिला हेतु उपयोगी सामग्रियों को तैयार करता है जिससे जिले के व्यक्तियों के जीवन स्तर में काफी सुधार हो रहा है और जिले के अप्रयुक्त साधानों को निर्मित करके उत्पादक कार्यों में लगाना और नवीन–नवीन वैज्ञानिक खोजों का प्रयोग करके उत्तम गुणवत्ता से प्रयुक्त सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है। श्रम शक्ति को गतिशील बनाना व्यवसायी/उद्यमी/साहसी का महत्वपूर्ण कार्य होता है। इस तरह साहसी/उद्यमी जिले में उत्पादक साधनों का संगठनकर्ता होता है तथा उद्यमिता एक आकर्षक घटक हे जो उत्पादन के सम्पूर्ण साधनों को संगठित करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि रीवा जिले के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को शासन स्तर पर वित्तीय स्थिति की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं जिससे जिले में इनका विकास तेजी से हो रहा है, जिसकी वजह से जिले की बेरोजगारी की दर में काफी कमी आई है और जिले का आर्थिक विकास भी सुनिश्चित हो रहा है।

संदर्भ ग्रन्थ –

1. श्रीवास्तव, डॉ. ओ.एस. – मध्यप्रदेश का आर्थिक विकास, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, संस्करण 2003,
2. रामेश्वर, डा. निगम कुमार, डॉ. प्रमिला – औद्योगिक भूगोल, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, आगरा–2, संस्करण 2006–07,
3. शर्मा, वीरेन्द्र प्रकाश – रिसर्च मेथडोलॉजी, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 2004

4. गुप्ता, मोती लाल – भारतीय सामाजिक संस्थायें, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, ए–62/2 विद्यालय मार्ग तिलक नगर, जयपुर, 1973
5. डॉ. राजमणि लाल – मजदूरी तथा सामाजिक सुरक्षा, प्रसाद प्रकाशन मन्दिर कानपुर, 1969
6. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, वर्ष 2008